न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 54/2016

1. ताराचन्द उम्र 65 वर्ष पुत्र स्व. प्रभातीलाल, जाति ब्राहम्ण,निवासी गुढ़ा ढहर, जिला झुन्झुनूं राज.।
2. नागरमल, उम्र 67 पुत्र स्व. प्रभातीलाल, जाति ब्राहम्ण,निवासी गुढ़ा ढहर, जिला झुन्झुनूं राज.।
3. सावरमल, उम्र 50 वर्ष, पुत्र स्व. प्रभातीलाल, जाति ब्राहम्ण,निवासी गुढ़ा ढहर, जिला झुन्झुनूं राज.

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

– अप्रार्थी

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 11.8.2016
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम ताराचंद
मु.न. 14/2016 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी,
अ. धारा 91 राज. भू. राज. अधि. 1956

उपस्थितिः–

1 .श्री सुशील जोशी, एडवोकेट ——— ——————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट—————— अप्रार्थ की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 24.04.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 11.8.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम ताराचंद मु.न. 14/2016 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– प्रकरण में विवादित खसरा नंबर हाल 1298 रकबा 0.07 हैक्टर के गत खसरा नंबर 670 रकबा 5 बिस्वा पुख्ता वाके ग्राम गुढ़ा ढहर के बाबत मौजुदा शिकायत कर्ता राकेश सैनी राजनीतिक प्रभाव एवं दबाव से मुकामि रेवन्यु अधिकारियों पर अपना प्रभाव रखता है इस वजह से उसने पूर्व में भी उपरोक्त खसरा नंबरान की नक्शा शीट में तथाकथित विवादित रास्ता जिसके मौजुदा खसरा नंबर 1298 होना अंकित किया है। इस रास्ते को सन 1979–80 ई में नाजायज रूप से खसरा नंबर 1299 की ओर मोड़कर रिकार्ड नक्शा शीट में अंकित करवा दिया जबकि

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

यह रास्ता पुरानी नक्शा शीट ई सनू 1952–53 में तदनुसार विक्रम सम्वत 2010 में यह रास्ता अपीलार्थीगण के कुए से जो पुराने खसरा नंबर 669, 667 से होता हुआ 665 और 666 में जाता था, जो पुरानी नक्शा शीट विक्रम सम्वत 2010 तदनुसार ई.सन 1952 में अंकित स्थिति से स्वतः सिद्ध है। उपरोक्त विवादित रास्ता जिसके पुराने खसरा नंबर 670 जिसके नएं खसरा नंबर 1298 है अपने राजनीतिक दबाव एवं प्रभाव से नई नक्शा शीट सन 1979–80 में प्रार्थी अपीलार्थीगण के कुए से जिसके पुराने खसरा नंबर 673 और नए खसरा नंबर 1301 है, से चलकर रास्ता नए खसरा नंबर 1299 से पूर्व दिशा की ओर भी रास्ते को मोड़ दिया तथा जो नए खसरा नंबर 1299 में से हाककर खसरा नंबर 1164 तक के लिए कायम करवाते हुए इस रास्ते को खसरा नंबर 1287 से थोड़ा सा पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर उत्तर की तरफ खसरा नंबर 1290 तक चला जाता है। इस प्रकार शिकायतकर्ता राकेश सैनी ने नई नक्शा सीट में विवादित रास्ते को उपरोक्त वर्णित अनुसार कायम करवा लिया है। विवादित रास्ता जिसके खसरा नंबर 1298 होना अंकित किया गया है को गलत रूप से पूर्व दिशा में कायम कर देने से अपीलार्थीगण के अधिकारों पर विपरित असर पड़ने के कारण इस स्थिति को पुनः पूर्व की नक्शा शीट जो विक्रम सम्वत 2010 तथा ई० सन 1952–53 में दर्शितानुसार पुनः संशोधित करवाने के लिए अपीलार्थीगण की ओर से एक दावा एसडीओ साहब उदयपुरवाटी के न्यायालय में पेश किया गया जो उनवानी मूर्ती मंदिर गोपीनाथ जी महाराज जरिये वादमित्र नाथूराम बनाम राजस्थान सरकार पेश किया गया जिसके मु0नं0 232/2002 है जिसका निर्णय दिनांक 23.3.2004 को फरमाया गया। यहां यह तथ्य विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि मूर्ती मंदिर के वादमित्र नाथूराम एवं अपीलार्थीगण एक ही कुनबे के सदस्य है जो आपस में चाचा ताउ के पुत्र होकर आपस में भाई है जिसमें तथा कथित रास्ता हाल खसरा नंबर 1298 की स्थिति को पूर्ववत करवाने के आदेश फरमाये गये:–वादी का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुडा के गत खसरा नंबर 670 रकबा 5 विश्वा के हाल खसरा नंबर 1298 रकबा 0.07 हैक्टर पुरानी नक्शा ट्रेस के अनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी अनुभवी सर्वे टीम गठित कर नाप जोखकर ट्रेस में दुरूस्ती के पश्चात वर्तमान खसरा नंबर 1298 रकबा 0.07 हैक्टर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो तहसीलदार अतिक्रमण को हटाने हेतु रा.ले. रे. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये, डिक्री जारी हो। उपरोक्तानुसार न्यायालय का निर्णय हो जाने के पश्चात निर्णय की पालना करवाये जाने हेतु इजराय आवेदन पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसमें उपरोक्त रास्ते को पूर्ववत स्थापित करने हेतु हल्का

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

पटवारी को आदेशित फरमाया गया जिसने आदेश की पूर्ण पालना नहीं की और ना ही मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट सही दी। सही तथ्य यह है कि अपीलार्थीगण द्वारा सीमेन्ट के ब्लॉक्स व ईंटों से बनाया गया टिन शेड विवादित रास्ते के पूर्व की तरफ से मूडने से भी पूर्व के बने हुये हैं, अर्थात नई नक्शा शीट सन 1979–80 में विवादित रास्ते को खसरा नंबर 1299 से पूर्व की ओर रास्ते को मोड़ना केवल नक्शे में दर्शाया गया है। वास्तव में यह रास्ता पूर्व दिशा की ओर मौके पर कभी रहा ही नहीं । अपीलार्थीगण का तथाकथित टिन शेड लगभग पिछले 35–40 वर्षों से भी अधिक पूर्व के समय का बना हुआ है इस पर मुकामी रेवेन्यु कर्मचारियों ने कभी भी सही रेपोर्ट पेश नहीं की । इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर शिकायतकर्ता राकेश सैनी ने स्थानीय अधिकारियों से मिलकर हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण के विरूद्ध आलोच्य निर्णय पारित करवाया है।

अपीलांट ने आगे अपील में कथन किया कि विवादित रास्ता जिसके पुराने खसरा नंबर 670 नये खसरा नंबर 1298 हैं। यह रास्ता पुरानी नक्शा शीट के अनुसार पुराने खसरा नंबर 673 जो अपीलार्थीगण का कुआ व खेत है, इससे यह रास्ता शुरू होकर पुराने खसरा नंबर 669 जो अपीलार्थीगण की रिहायशी गुवाड़ी से होता हुआ खसरा नंबर 668 की पहाड़ी की तलहटी से आगे जाकर खसरा नंबर 667 से होता हुआ अपीलार्थीगण के खेत खसरा नंबर 665, 666 एवं 660 तक जाता था जिसको कभी नक्शा शीट में पुराने खसरा नंबर 669 जिसके नये खसरा नंबर 1287 है जो अपीलार्थीगण की आबादी गुवाड़ी है जिसके दक्षिण में अपीलार्थीगण का खेत हाल खसरा नंबर 1299 स्थित है। इन दोनों खेत खसरा नंबरान गुवाड़ी व खेत के बीच से विवादित रास्ते को पूर्वी दिशा की ओर मोड़कर हाल खसरा नंबर 1164 तक कायम करवा लिया जिसका कोई कारण ही नहीं बताया गया। ना ही कोई ओचित्य भी बताया गया ना ही अपीलार्थीगण को नोटिस भी दिया गया एवं बाला–बाला इस रास्ते को पूर्व की तरफ मोड़कर कायम कर दिया गया जिससे वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होने से अपीलार्थीगण के चचेरे भाई नाथूराम ने एक दावा उनवानी मूर्ती मंदिर गोपीनाथ जी महाराज बनाम राज0 सरकार दुरूस्ती रिकार्ड हेतु पेश किया जिसके मु0नं0 232/2002 जिसका निर्णय 23.3.2004 को फरमाया गया कि वादी का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुडा के गत खसरा नंबर 670 रकबा 5 विश्वा के हाल खसरा नंबर 1298 रकबा 0.07 हैक्टर पुरानी नक्शा ट्रेस के अनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी अनुभवी सर्वे टीम गठित कर नाप जोखकर ट्रेस में दुरूस्ती के पश्चात वर्तमान खसरा नंबर 1298 रकबा 0.07 हैक्टर रास्ते की भूमि पर

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

अतिक्रमण पाया जाता है तो तहसीलदार अतिक्रमण को हटाने हेतु रा.ले.रे. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे, डिक्री जारी हो। उपरोक्तानुसार न्यायालय का निर्णय हो जाने के पश्चात निर्णय की पालना करवाये जाने हेतु इजराय आवेदन पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसमें उपरोक्त रास्ते को पूर्ववत स्थापित करने हेतु हल्का पटवारी को आदेशित फरमाया गया जिसने आदेश की पूर्ण पालना नहीं की और ना ही मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट सही दी। सही तथ्य यह है कि अपीलार्थीगण द्वारा सीमेन्ट के ब्लॉक्स व ईंटों से बनाया गया टिन शेड विवादित रास्ते के पूर्व की तरफ से मूड़ने से भी पूर्व के बने हुये हैं, अर्थात नई नक्शा शीट सन 1979–80 में विवादित रास्ते को खसरा नंबर 1299 से पूर्व की ओर रास्ते को मोड़ना केवल नक्शे में दर्शाया गया है। वास्तव में यह रास्ता पूर्व दिशा की ओर मौके पर कभी रहा ही नहीं । अपीलार्थीगण का तथाकथित टिन शेड लगभग पिछले 35–40 वर्षों से भी अधिक पूर्व के समय का बना हुआ है इस पर मुकामी रेवेन्यु कर्मचारियों ने कभी भी सही रेपोर्ट पेश नहीं की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.8.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। विवादित रास्ता जिसके पुराने खसरा नंबर 670 नये खसरा नंबर 1298 हैं। यह रास्ता पुरानी नक्शा शीट के अनुसार पुराने खसरा नंबर 673 जो अपीलार्थीगण का कुआ व खेत है, इससे यह रास्ता शुरू होकर पुराने खसरा नंबर 669 जो अपीलार्थीगण की रिहायशी गुवाड़ी से होता हुआ खसरा नंबर 668 की पहाड़ी की तलहटी से आगे जाकर खसरा नंबर 667 से होता हुआ अपीलार्थीगण के खेत खसरा नंबर 665, 666 एवं 660 तक जाता था जिसको कभी नक्शा शीट में पुराने खसरा नंबर 669 जिसके नये खसरा नंबर 1287 है जो अपीलार्थीगण की आबादी गुवाड़ी है जिसके दक्षिण में अपीलार्थीगण का खेत हाल खसरा नंबर 1299 स्थित है। इन दोनों खेत खसरा नंबरान गुवाड़ी व खेत के बीच से विवादित रास्ते को पूर्वी दिशा की

अति. जिला कलेक्टर

ओर मोड़कर हाल खसरा नंबर 1164 तक कायम करवा लिया जिसका कोई कारण ही नहीं बताया गया। ना ही कोई औचित्य भी बताया गया ना ही अपीलार्थीगण को नोटिस भी दिया गया एवं बाला–बाला इस रास्ते को पूर्व की तरफ मोड़कर कायम कर दिया गया जिससे वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होने से अपीलार्थीगण के चचेरे भाई नाथूराम ने एक दावा उनवानी मूर्ती मंदिर गोपीनाथ जी महाराज बनाम राज0 सरकार दुरूस्ती रिकार्ड हेतु पेश किया जिसके मु0नं0 232/2002 जिसका निर्णय 23.3.2004 को फरमाया गया कि वादी का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुडा के गत खसरा नंबर 670 रकबा 5 विश्वा के हाल खसरा नंबर 1298 रकबा 0.07 हैक्टर पुरानी नक्शा ट्रेस के अनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी अनुभवी सर्वे टीम गठित कर नाप जोखकर ट्रेस में दुरूस्ती के पश्चात वर्तमान खसरा नंबर 1298 रकबा 0.07 हैक्टर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो तहसीलदार अतिक्रमण को हटाने हेतु रा.ले.रे. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे, डिक्री जारी हो। उपरोक्तानुसार न्यायालय का निर्णय हो जाने के पश्चात निर्णय की पालना करवाये जाने हेतु इजराय आवेदन पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसमें उपरोक्त रास्ते को पूर्ववत स्थापित करने हेतु हल्का पटवारी को आदेशित फरमाया गया जिसने आदेश की पूर्ण पालना नहीं की और ना ही मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट सही दी। सही तथ्य यह है कि अपीलार्थीगण द्वारा सीमेन्ट के ब्लॉक्स व ईंटों से बनाया गया टिन शेड विवादित रास्ते के पूर्व की तरफ से मूड़ने से भी पूर्व के बने हुये हैं, अर्थात नई नक्शा शीट सन 1979–80 में विवादित रास्ते को खसरा नंबर 1299 से पूर्व की ओर रास्ते को मोड़ना केवल नक्शे में दर्शाया गया है। वास्तव में यह रास्ता पूर्व दिशा की ओर मौके पर कभी रहा ही नहीं । अपीलार्थीगण का तथाकथित टिन शेड लगभग पिछले 35–40 वर्षों से भी अधिक पूर्व के समय का बना हुआ है इस पर मुकामी रेवेन्यु कर्मचारियों ने कभी भी सही रेपोर्ट पेश नहीं की । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत निर्णय पारित कर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गुड़ा

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

ढहर के खसरा नंबर 1298 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गै0मु0 रास्ता में 20X 10 वर्ग फुट में अपीलांट ताराचंद पुत्र प्रभातीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गुड़ा ढहर का अतिक्रमण पाये जाने पर बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट के निवेदन पर न्यायालय के पत्रांक राजस्व 118/114 दिनांक 22.2.2018 के द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी से उक्त विवादित रास्ते के संदर्भ में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपने पत्रांक राजस्व/18/359 दिनांक 28.2.2018 द्वारा हस्तगत प्रकरण के संदर्भ में ग्राम गुड़ा ढहर के खसरा नंबर 670 हाल खसरा नंबर 1298 की दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की हुई प्राप्त हुई है जिसमें अंकित किया गया है कि–मौके पर कुआ खसरा नंबर 1301 से रास्ता उत्तर पश्चिम खसरा नंबर 1298 रकबा 0.07 हैक्टर गै. मु.रास्ता मौके पर चालू स्थिति में है। पूर्व व उत्तर दिशा में खसरा नंबर 1287 रकबा 0.12 है. गैर.मु. आबादी स्थित है जिसमें ढाणी जागीर दारोवाला की 14–15 परिवार की पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है। उक्त रास्ते के पूर्व दिशा में 12–13 फुट का चौकनुमा जगह पड़ी हुई है तथा आगे आबादी के कोने पर मकानों एवं ब्लाकों के ढारे के बीच लगभग 5–6 फिट का चौक खसरा नंबर 1160 की सीमा तक है। ब्लॉकों व ईंटों के टीनशेड के ढारे के दक्षिण साईड में खसरा नंबर 1299/03, 1300/0.67 माफी मंदिर गोपीनाथ जी दोनों खसरा नंबर आपस में मिले हुये है। हाल खसरा नंबर 1298 रकबा 0.07 गै.मु. रास्ता है, पुराना खसरा नंबर 670 है, जो रास्ता मौके पर चालू है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट में कहीं भी यह अंकित नहीं किया कि अपीलांट द्वारा रास्ते में टीनशेट आदि बनाकर अतिक्रमण किया गया है या रास्ते को अवरूद्ध कर रखा है। रिपोर्ट में रास्ता चालू होने का स्पष्ट उल्लेख है। फर्द मौका रिपोर्ट पर जो नजरी नक्शा बनाया गया है, उसमें भी रास्ते में कहीं कोई अवरोध या अतिक्रमण नहीं दर्शाया गया है। फर्द मौका रिपोर्ट पर हल्का पटवारी, भू0अ0 निरीक्षक, तहसीलदार उदयपुरवाटी व पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 11.8.2016 एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का रास्ते में अतिक्रमण मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है तो दूसरी तरफ रास्ता चालू होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो दोनों आपस में विरोधाभाषी हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.8.2016 मु0न0 14/2016 उनवानी सरकार बनाम ताराचंद आदि निरस्त किया जाता है। तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि तहसीलदर उदयपुरवाटी वादग्रस्त भूमि का स्वयं मौका देखें तथा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुये विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की मिसल अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बगड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बगड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू